# - :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: -

## ।। आदिवासी विकास शाखा ।।

फैक्स नं. 0788–2323655, ई–मेल – actwd.durg@Gmail.com

क्रमांक / 1181 / आ.जा.क. / 6 / पो.मै.छा. / न.क्र.61 / 2023–24 दुर्ग, दिनांक 20/2/24

प्रति,

कुलपति / अधिष्ठाता / प्राचार्य
शासकीय / अशासकीय / विश्वविद्यालय / महाविद्यालय
इंजीनियरिंग कॉलेज / मेडिकल कॉलेज / नर्सिंग कॉलेज
पॉलीटेक्निक / आई.टी.आई.
..............................................................जिला– दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– शिक्षा सत्र 2023–24 हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत्।

संदर्भ :– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर के पत्र पृ. क्रमांक / आ.ला.पो.मै.छा. / 162 / 2023–24 / 12398 नवा रायपुर, दिनांक 15.02.2024

----0----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तहत जिले में संचालित मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय / अशासकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. में अध्ययनरत **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर शिक्षा सत्र 2023–24 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाईन पंजीयन, प्रस्ताव लॉक, स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार तिथि **वृद्धि** की गई हैं :–

| क्र. | प्रक्रिया | तिथि |
|---|---|---|
| 1 | विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन / नवीनीकरण) | दिनांक 19.02.2024 से 14.03.2024 तक |
| 2 | अशासकीय संस्था द्वारा प्रस्ताव (Proposal) लॉक एवं शासकीय संस्था द्वारा स्वीकृति (Sanction) लॉक कर आवश्यक अभिलेख कार्यालय में जमा करने हेतु | दिनांक 19.02.2024 से 28.03.2024 तक |

टीपः– छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम Aadhar आधारित भुगतान की जा रही है, अतः विद्यार्थी ध्यान रखे की उनका खाता एक्टिव हो एवं आधार से सीडिंग हो।

सत्र 2023–24 के लिए यह अंतिम अवसर विद्यार्थियों को प्रदाय किया जा रहा है। निर्धारित तिथि के पश्चात् सत्र 2023–24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन एवं प्रस्ताव लॉक करने का अवसर प्रदान नही किया जायेगा। अतः संस्था प्रमुख अपने संस्था में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को सूचित कर छात्रवृत्ति पूर्ण करावे। छात्रवृत्ति आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय में अभिलेख जमा करेंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, दुर्ग
15/2/24

पृ. क्रमांक / 1182 / आ.जा.क. / 6 / पो.मै.छा. / न.क. 61 / 2023–24 दुर्ग, दिनांक 20/2/24

प्रतिलिपि :–

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, दुर्ग